तारीख हक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम हुक्म की में जारी
12/10/17	पत्रावली पर गत पेशी पर वकील पक्षकारान की बहस हो चुकी थी जिसके अनुसार वकील वादी ने अपने कथनों में कहा कि हल्का पटवारी द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में बिना प्रतिवादीगण को सूचित किये पेश किया तथा न्यायालय ने सहमत से उसी के अनुसार निर्णय व डिक्री पारित कर दी जिससे प्रार्थी को सरवत हक तल्फी हो रही थी और उनवानों का पुनः नम्बर पर लिये जाने का निवेदन किया। जिसके जवाब में वकील प्रतिवादी ने अपने कथन में बताया कि दिनांक 14.06.2011 को लोक अदालत कैम्प झुकाना में प्रतिवादीगण के काफी वकता रवादीय की मौजूदगी में तथा उनकी सहमती से मंगवाये गये थे। तथा विभाजन प्रस्ताव पेश होने पर उज्र प्रतिवादीगण का कोई एतराज नहीं आने पर पक्षकारान की मौजूदगी में वादियों का दावा बहस सुनकर डिक्री कर दिया था। और जब प्रतिवादीगण ने कोई एतराज पेश नहीं किया तो रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं है। वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे रिव्यू प्रार्थना खारीज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है यदि प्रतिवादीगण को दावा डिक्री किये जाने पर अब एतराज है तो उसके लिए रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश करने की बजाय सक्षम न्यायालय में अपील का प्रावधान है अतः प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र स्थगन खारीज किया जाता है पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी [illegible]	